न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 32 / 2024 GCMS No.—2024/103

ग्राम पंचायत गोनेर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोनेर पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर।
...निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा निवासी ग्राम गोनेर, सांगानेर, जयपुर।
2. श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री रामनाथ निवासी ग्राम गोनेर, सांगानेर, जयपुर, राज0।
3. श्री गिर्राज शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा निवासी ग्राम गोनेर सांगानेर, जयपुर राज0।
4. श्री बनवारी शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा निवासी ग्राम गोनेर, सांगानेर, जयपुर राज0।
5. श्योनारायण शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा निवासी ग्राम गोनेर सांगानेर, जयपुर राज0।
6. श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामकरण शर्मा निवासी ग्राम गोनेर सांगानेर, जयपुर राज0।

...विपक्षीगण

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

निगरानी विरूद्ध नजराना नगर 1/1968.69 प्रस्ताव संख्या 15 पर दिनांक 15.12.1968 का रामनाथ पुत्र श्री नारायण बारागांव को जारी पट्टा विलेख को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री महेश कुमार चौधरी निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रामचन्द्र शर्मा गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।
3. श्री राकेश पारीक गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।
4. श्री सुभाष चन्द शर्मा गैर निगरानीकार संख्या 3,4,6 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 10.03.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर, के आदेश दिनांक 15.12.1968 द्वारा रामनाथ पुत्र श्री नारायण बारागांव, निवासी ग्राम गोनेर के हक में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.06.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र शर्मा उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 3,4,6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पारीक उपस्थित आये। ग्राम पंचायत गोनेर के पत्रांक अनुसार ग्राम पंचायत में मूल पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम गोनेर के आबादी क्षेत्र खसरा नंबर 1783 खटीको का बास तीजाली स्थान के सामने पुरानी पुलिस चौकी जिस स्थल पर कायम रही उस बाबत निगरानीकार एवं रामकरण मीणा पुत्र श्री झुथाराम के मध्य दीवानी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें दीवानी न्यायालय द्वारा दावा संख्या 84/2009 उनवानी रामकरण बनाम ग्राम पंचायत में पारित डिक्री दिनांक 22.02.2019 को निगरानीकार ने चुनौती दी हुई है। निगरानीकार एवं रामकरण के मध्य जिस भूमि बाबत विवाद है उस पर प्रत्यर्थी के भाई घनश्याम ने दीवानी न्यायालय में दावा उनवानी घनश्याम बनाम ग्राम पंचायत गोनेर प्रस्तुत किया जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 20.11.

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

दिया। इस दावे में घनश्याम ने अपने दादा रामनाथ के नाम ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा नजराना नंबर 1/1968–69 पर राशि जमा कराने एवं दिनांक 15.12.1968 को विक्रय विलेख मय नक्शा जारी करने का उल्लेख कर इन दस्तावेजो को खो जाना जाहिर किया इस दावे के खारिज होने तक घनश्याम शर्मा ने कोई स्वामित्व दस्तावेज पेश नहीं किये एवं दावा उनवानी रामकरण बनाम ग्राम पंचायत गोनेर में भी घनश्याम पक्षकार रहा है। दिनांक 22.11.2023 को मौके पर से पुलिस चौकी हट जाने एवं भूमि खाली हो जाने के पश्चात प्रत्यर्थी के माध्यम से घनश्याम ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया एवं उक्त भूमि को स्वयं की बताना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थी ने पट्टा पत्रावली गुम हो जाने की कहानी गढकर फर्जकारी की है ग्राम पंचायत के पास पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं है। गैर निगरानीकार का निगरानीधीन पट्टे की भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। इसलिए निगरानीकार प्रत्यर्थी के विरूद्ध निगरानी पेश करने को विवश हुआ है। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 22.11.2023 को फर्ज कारी फर्जी दस्तावेज प्रति के आधार पर न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए जो कार्यवाहिया माननीय न्यायालय एवं दीवानी न्यायालय में की है उससे निगरानीकार को इन फर्जकारी का प्रथम बार संज्ञान होने से निगरानी अन्दर मियाद पेश हो। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोनेर पं.स.सांगानेर के आदेश दिनांक 15.12.1968 द्वारा गैर निगरानीकार के पूर्वज रामनाथ पुत्र नारायण के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार ने गलत तथ्यो के आधार पर निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा रामकरण के पक्ष में जारी अवैध डिकी का समर्थन दिलवाए जाने के उद्देश्य से निगरानी पेश की है। गैर निगरानीकार संख्या 2 का कथन उचित नहीं है कि रामनाथ को पट्टा परसो का बास में जारी किया गया है क्योंकि उक्त पट्टे की सीमाएं परसो का बास से मेल नहीं खाती है। रामनाथ को जारी पट्टे में सीमाओं अनुसार उत्तर दिशा में एस.टी.सी विद्यालय आज भी विद्यमान है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रामनाथ के हक में नोटिस, पंचायत की बकाया रकमों की मांग का प्रपत्र, पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में रामनाथ को जारी पट्टे के शुल्क का विवरण उपलब्ध है। निगरानीकार द्वारा गलत तथ्यो एवं रामकरण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निगरानी पेश की गयी है इसलिए निगरानीकार की निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथ किया गया कि ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा मेरे पिता रामनाथ पुत्र नारायण को आबादी भूमि दिनांक 15.12.1968 को जारी किया गया पट्टा परसो का बास, ग्राम गोनेर में स्थित है। उक्त पट्टे में से मैनें मेरा हिस्सा आज दिनांक तक किसी को भी बेचान नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा मेरे पिता के हक में तीजाली का स्थान, खटीको का मोहल्ला ग्राम गोनेर के स्थान का पट्टा जारी नहीं किया गया है एवं उक्त जगह पर हमारें पुरखो का किसी तरह का कोई लेना–देना नहीं रहा है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोनेर में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध

होने से प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। गैर निगरानीकार द्वारा अपने कथनो के समर्थन में निगरानीधीन पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही में नोटिस तारीख पेशी, पंचायत की बकाया रकमो का मांग का प्रपत्र, पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति पेश की है उक्त दस्तावेज ग्राम पंचायत के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर सन् 1968 की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत गोनेर के बैठक कार्यवाही रजिस्टर 1968 में प्रस्ताव संख्या 15 अनुसार नजराना 1/67–68 की फाइल पर शुल्क 149.53 रूपये जमा कर पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव लिया गया है किन्तु उस प्रस्ताव में गैर निगरानीकार के पूर्वज रामनाथ पुत्र श्री नारायण निवासी गोनेर को स्पष्ट रूप से पट्टा दिये जाने बाबत कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पट्टा पत्रावली एवं उससे संबंधित कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना जाहिर किया है इसलिए निगरानीधीन पट्टे की वैधानिकता भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है। रामनाथ को जारी पट्टे के संबंध में रामनाथ के पुत्र गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष जरिये जवाब कथन किया है कि ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के पिता रामनाथ को जारी पट्टे में से मैनें मेरा हिस्सा आज दिनांक तक किसी को भी बेचान नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा मेरे पिता के हक में तीजाली का स्थान, खटीको का मोहल्ला ग्राम गोनेर के स्थान का पट्टा जारी नहीं किया गया है। गैर निगरानीकार द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा हो। इसलिए पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात से सहमत होकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा नजराना नंबर 1/1968–69 आदेश दिनांक 15.12.1968 द्वारा गैर निगरानीकार के पूर्वज रामनाथ पुत्र श्रीनारायण बारागांव, निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता है वह उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पट्टे में दर्शित भूखण्ड की भूमि के संबंध में राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर